न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 777 / 15

संस्थित दिनाँक-08.10.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र–गोहद चौराहा जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

रामा उर्फ रामनिवास पुत्र रामचरन बघेले उम्र 39 साल, निवासी छीमका थाना गोहद चौराहाअभियुक्त

__:: निर्णय ::— {आज दिनांक 22.12.2016 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 02.08.15 को करीब 13:00 बजे के लगभग भिण्ड ग्वालियर हाईवे छीमका रोड सार्वजनिक स्थान पर बस क्रमांक एम0पी0-07 पी 0776 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।

- प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि फरियादी/आहत द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लिए जाने के आधार पर अभियुक्त को भादिव0 की धारा 337, 338 का उपशमन किया गया है।
- अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 02.08.15 को फरियादी खेमराजसिंह 3. की लडकी सरजू गोहद से घर छीमका बस क्रमांक एमपी0-07 पी-0776 से आ रही थी। जैसे ही बस छीमका पहुंची और लडकी बस से उतरी तो बस के चालक रामा उर्फ रामनिवास ने तेजी व लापरवाही से बस चला दी जिससे उसकी लडकी के गिरने से माथे, चेहरे व सिर में जगह, जगह छिलन व मुदी चोटें आई। मौके पर कल्यानसिंह तोमर व कई लोग आ गए। उक्त आशय की सूचना से देहाती नालिसी लेख की गयी, आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। अपराध क्रमांक 183 / 15 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौराने अनुसंधान नक्शामौक बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, जब्ती कर जब्ती पत्रक, गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाया गया, वाहन की मैकेनिकल जांच कराई गयी। बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।
- अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने निर्दोष होना तथा झूंठा फंसाया जाना बताया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1.क्या अभियुक्त ने दिनांक 02.08.15 को करीब 13:00 बजे के लगभग भिण्ड ग्वालियर हाईवे छीमका रोड सार्वजनिक स्थान पर बस क्रमांक एम0पी0–07 पी 0776 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

<u>—ः सकारण निष्कर्ष ::–</u>

- 6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में खेमराज अ०सा० 1, कु० सरजू अ०सा० 2, गोपसिंह अ०सा० 3, सुरेशदत्त मिश्रा अ०सा० 4, कल्यान अ०सा० 5 को परीक्षित कराया गया है जबिक अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।
- 7. प्रकरण में स्वयं आहत सरजू अ०सा० 2 यह कथन करती है कि घटना एक साल पहले की दोपहर के समय की है वे ग्राम छीमका में अपने चाचा के घर जा रही थी। छीमका में बस स्टाप पर बस रूकने को हुई वैसे ही व बस से कूंदी तो वहां पड़े पत्थर में उलझकर गिर गयी थी जिससे चेहरे व पैरों के घुटनों में चोट आई थी, वह बेहोश हो गयी थी। उसे कोई अस्पताल लेकर आया जहां होश आया। पुलिस को बस का नंबर और बस चलाने वाले का कोई नाम न बताए जाने का कथन करती है। प्रकरण में फरियादी खेमराज अ०सा० 1 यह कथन करता है कि उसकी बच्ची गोहद गयी थी, गोहद से वापस आ रही थी तब छीमका रोड पर एक्सीडेंट हो गया था। उसे यह बात पता चली तो सूचना से वह अस्पताल में गया था, देहाती नालिसी प्र०पी० 1 पर पुलिस द्वारा हस्ताक्षर कराए जाने का कथन करता है। यह कथन करता है कि उसकी लडकी ने उसे बताया कि बस रूकने से पहले वह कूंद गयी जिससे वह गिर पड़ी और चोट आई थी। बस का नंबर और एक्सीडेंट की सूचना देने वाले के संबंध में कोई जानकारी न होना बताते हैं।
- 8. प्रकरण में अन्य साक्षी कल्याण अ०सा० 5 के रूप में परीक्षित कराया गया है जो अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि वे फरियादी और उसकी लड़की सरजू को जानते हैं किन्तु उनके सामने कोई घटना नहीं होने का कथन करते हैं। साक्षी गोपसिंह अ०सा० 3 फरियादी द्वारा बस कमांक एम०पी०—07 पी—0776 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से बस चलाने के कारण गिरने से चोट आने की साक्ष्य देते हैं। देहाती नालिसी के आधार पर रिपोर्ट प्र०पी० 4 लेख किए जाने का कथन करते हैं, उस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। साक्षी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करते हैं कि फरियादी ने सही बात लिखाई थी या नहीं। जबकि स्वयं फरियादी खेमराज अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में बस का नंबर लिखाए जाने से इंकार करते हैं साथ ही स्वयं चक्षुदर्शी साक्षी भी नहीं हैं। ऐसी दशा में उनकी साक्ष्य से अभियोजन के मामले को कोई बल प्राप्त नहीं होता है। अनुसंधानकर्ता द्वारा दिनांक 03.08.15 को बस कमांक एम०पी०—07 पी—0776 को जब्त करना बताया गया है जबिक घटना दिनांक 02.08.15 की है। जब्ती पत्रक प्र०पी० 6 पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर बताकर प्रमाणित किया है। उक्त वाहन की जब्ती घटनास्थल से भी नहीं हुई है ऐसी दशा में

अभिकथित बस घटना में लिप्त थी, इस संबंध में कोई तर्कपूर्ण साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं। जहां तक देहाती नालिसी व कथनों का प्रश्न हैं तो वे सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते। न्यायालय का ध्यान न्यायदृष्टांन्त— रिव कुमार वि० स्टेट ए आई आर 2005 सुप्रीम कोर्ट 1929 एवं न्यायदृष्टान्त— ए आई आर 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज—1 की ओर आकर्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दप्रस के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है।

- 9. यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जावे कि आहत सरजू को आई चोट बस से उतरते समय कारित हुई तो भी बस के चालक का उपेक्षा व उतावलेपन पूर्ण ढंग से वाहन को चलाए जाने का तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं, बल्कि इसके विपरीत स्वयं आहत सरजू द्वारा उसे बस रूकने के समय कूद जाने पर पत्थर में उलझ जाने से चोट कारित होने का कथन किया गया है। ऐसी दशा में अभियुक्त के उपेक्षा व उतावलेपन पूर्ण कृत्य के संबंध में मामला प्रमाणित नहीं होता है।
- 10. उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 02.08.15 को करीब 13:00 बजे के लगभग भिण्ड ग्वालियर हाईवे छीमका रोड सार्वजिनक स्थान पर बस कमांक एम0पी0—07 पी 0776 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त को राजीनामा के आधारा संहिता की धारा 337, 338 के आरोप से दोषमुक्त किया गया है।
- 11. अभियुक्त की जमानत भारहीन की गयी उसके निवेदन पर मुचलका 6 माह तक प्रभावी रहेगा।
- 12. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन एम0पी0—07पी—0776 उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अविध बाद बंधनमुक्त हो, अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

सही /-

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही / – ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश